

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास - श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० :- 70/2019

दायर दिनांक :- 05.04.2019

अनवान

1. सोराम पिता हजारी मीणा आयु वयस्क निवासी सरसिया
2. नाथुलाल पिता हजारी मीणा आयु वयस्क निवासी सरसिया
3. प्रमुलाल पिता हजारी मीणा आयु वयस्क निवासी सरसिया
4. जोधराज पिता हजारी मीणा आयु वयस्क निवासी सरसिया तहसील

प्रार्थी.....

बनाम

1. पवन पिता सोहनलाल मीणा निवासी सरसिया तहसील जहाजपुर
2. भरत पिता सोहनलाल मीणा निवासी सरसिया तहसील जहाजपुर
3. हेमन्त पिता सोहनलाल मीणा निवासी सरसिया तहसील जहाजपुर
4. बलवंत पिता सोहनलाल मीणा निवासी सरसिया तहसील जहाजपुर
5. पार्वती पुत्री सोहनलाल मीणा निवासी सरसिया तहसील जहाजपुर
6. सरोज पुत्री सोहनलाल मीणा निवासी सरसिया तहसील जहाजपुर
7. स्नेहलता पुत्री सोहनलाल मीणा निवासी सरसिया तहसील जहाजपुर
8. श्रीमति सुरजी बेवा सोहनलाल मीणा निवासी सरसिया तहसील जहाजपुर
9. जयकिशन पिता कल्याण मीणा निवासी सरसिया तहसील जहाजपुर
10. कैलाश चन्द्र पिता कल्याण मीणा निवासी सरसिया तहसील जहाजपुर
11. फूलसिंह पिता कल्याण मीणा निवासी सरसिया तहसील जहाजपुर
12. तहसीलदार एवं उप पंजीयक जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री अंजनी कुमार शर्मा, एडवोकेट प्रार्थीगण,

:: आदेश ::

दिनांक 13.02.2023

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम सरसिया पटवार हल्का सरसिया मे अप्रार्थी सं. 1 से 12 के खाते मे आराजी सं. 2123 रकबा 3.03 बीघा आराजी सं. 2134 रकबा 0.14 बीघा आराजी सं. 2152 रकबा 1.17 बीघा आराजी सं. 2154 रकबा 1.05 बीघा आराजी सं. 2157 रकबा 0.19 बीघा भूमि स्थित है। उपरोक्त समस्त आराजियात पूर्व मे चन्द्रा पिता गोमदा मीणा निवासी सरसिया के नाम दर्ज थी जिसमे से 4.10 बीघा भूमि 2000 रुपये नकद प्रतिफल मे प्रार्थीगण के पिता हजारी पिता कजोड

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

मीणा ने तत्कालीन खातेदार चन्द्रा पिता गोमदा मीणा से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के दिनांक 13६07६1961 को क्रय की थी एवं क्रय करने की दिनांक से ही क्रय शुदा भूमि पर प्रार्थीगण के पिता का कब्जा चला आ रहा था एवं प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के बाद से ही उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है । वक्त पंजीयन विक्रेता चन्द्रा पिता गोमदा मीणा ने विक्रय की कई भूमि के पडौस विक्रय पत्र में लिखाये थे जो पूर्व में नहर पश्चिम में सरकारी आम रास्ता उत्तर में कल्याण मीणा की जमीन एवं दक्षिण में सुरजा मीणा को विक्रय की गई जमीन थी । उपरोक्त पडौसों के मध्य की 4.10 बीघा भूमि विक्रेता चन्द्रा पिता गोमदा मीणा ने प्रार्थी के पिता क्रेता हजारी मीणा को विक्रय कर भूमि का कब्जा संभलाया था तब से ही उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही हैं । प्रार्थी के पिता हजारी मीणा अशिक्षित होने के कारण पंजीयन कराने के बाद भूमि का खाता अपने नाम दर्ज नहीं करवा सके और भूमि राजस्व अधिकारियों की लापरवाही से एवं कल्याण पिता माधु मीणा की मिलिभगत से कल्याण पिता माधु मीणा के नाम दर्ज कर दी गई जिसका राजस्व अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं था । प्रार्थीगण ने अपने पिता हजारी की मृत्यु के बाद करीब एक वर्ष पूर्व उपरोक्त भूमि के खाते में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए राजस्व अधिकारियों से सम्पर्क किया तो प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि भूमि प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज नहीं होकर अप्रार्थी सं. 1 से 12 के नाम दर्ज है । उसके बाद प्रार्थीगण ने कई बार अप्रार्थी सं. 1 से 12 से निवेदन किया कि उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता की क्रय शुदा भूमि है इस कारण अप्रार्थी सं. 1 से 12 भूमि को प्रार्थीगण के नाम दर्ज करा देवे लेकिन अप्रार्थी सं. 1 से 12 ने प्रार्थीगण के पिता की क्रय शुदा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज करवाने से साफ इंकार कर दिया और अप्रार्थी सं. 1 से 12 ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि भूमि उनके नाम खाते में दर्ज होने से अप्रार्थी सं. 1 से 12 भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय कर खुरद बुर्द कर देंगे और प्रार्थीगण को बेदखल कर देंगे । अप्रार्थी द्वारा धमकी दिये जाने से प्रार्थीगण के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है यदि अप्रार्थीगण ने अपने नाम दर्ज होने से भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय आदि कर खुरद बुर्द कर दिया तो इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी और प्रार्थीगण को अपनी भूमि प्राप्त करने में अनावश्यक मुकदमेबाजी में उलझना पड़ेगा । यह कि प्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्टया प्रकरण होकर सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है । अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी सं. 1 से 12 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि अप्रार्थीगण मूल वादपत्र के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित भूमि को विक्रय, रहन, बंधक, बक्शीस आदि न करे न ही प्रार्थीगण को उसकी क्रय शुदा भूमि से बेदखल करने का प्रयास करावे ।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।


6
उपरोक्त प्रार्थना पत्र
रजिस्टर (भोलवाड़ा)

मैंने वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहरान किया।

मैंने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया एवं ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि में वर्तमान में अप्रार्थीगण खातेदार है। प्रार्थीगण द्वारा यह बताया गया है की उक्त भूमि को प्रार्थीगण के पिता हजारी पिता कजोड मीणा ने तत्कालीन खातेदार चन्द्रा पिता गोमदा मीणा से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 13.07.1961 को कय की गई थी। लेकिन प्रार्थीगण द्वारा विक्रय पत्र की अप्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है। तथा तत्कालीन तथाकथित खातेदार चन्द्रा पिता गोमदा मीणा तथा अप्रार्थीगण का क्या सम्बन्ध था, इस बारे में प्रार्थी द्वारा कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रार्थी ने विक्रय के समय तत्कालीन विक्रेता के नाम से तत्समय का राजस्व रेकार्ड/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस नहीं पाया गया। प्रस्तुत विक्रय पत्र सन् 1961 का है। अत्यधिक देरी से प्रकरण प्रस्तुत करने के कारण भी प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार नहीं है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से अपूरणीय क्षति एवं सुविधा के संतुलन के बिंदू का विवेचन किया जाना आवश्यक नहीं हैं। अतः न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नहीं समझता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. खारिज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना-2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (मीलवाडा)